

न्यायालय :- श्रीमती मीना शाह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आमला
जिला बैतूल

दांडिक प्रकरण क :- 152/13

संस्थापन दिनांक:-14/06/13

फाईलिंग नं. 233504001282013

मध्यप्रदेश राज्य
द्वारा आरक्षी केन्द्र आमला,
जिला-बैतूल (म.प्र.)

..... **अभियोजन**

वि रू द्ध

1. झाड़ू पिता जिवत्या मेहरा, उम्र 50 वर्ष
2. जैयतुलबाई पति झाड़ू उम्र 40 वर्ष
दोनों निवासी सालईढाना,
थाना आमला, जिला बैतूल (म.प्र.)

.....**अभियुक्तगण**

—: (नि र्ण य) :-

(आज दिनांक 19.12.2016 को घोषित)

1 प्रकरण में अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 294, 323/34, 506 भाग-दो भा0दं0सं0 के अंतर्गत इस आशय के आरोप है कि उन्होंने दिनांक 26.05.2013 को रात 11:00 बजे ग्राम सालईढाना बुण्डाला थाना आमला जिला बैतूल के अंतर्गत सार्वजनिक स्थान या उसके समीप फरियादी संगीता मेहरा को मां बहन के अश्लील शब्द उच्चारित कर उसे एवं दूसरों को क्षोभ कारित किया एवं सामान्य आशय के अग्रशरण में फरियादी संगीता को लकड़ी एवं हाथ मुक्कों से मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की तथा फरियादी को प्रथम सूचना रिपोर्ट करने से विरत करने के आशय से जान से मारने के आशय से धमकी देकर आपराधिक अभिप्रास कारित किया।

2 अभियोजन का प्रकरण इस प्रकार है कि दिनांक 26.05.2013 को रात करीब 11 बजे अभियुक्तगण फरियादी के घर के सामने आये और उसके पति गौतम को अभियुक्त झाड़ू मां बहन की गंदी-गंदी गालियां देने लगा जिस पर उसने अभियुक्त झाड़ू को गाली देने से मना किया तो अभियुक्त ने उसे एक लात मारा जिससे वह गिर गयी तभी अभियुक्त जैतुल ने उसके बाल पकड़कर उसे हाथ मुक्के से मारपीट की तथा अभियुक्त झाड़ू ने लकड़ी से उसके सिर, कमर और जांघ पर मारा एवं हाथ मुक्के से दोनों गाल पर मारा जिससे उसे चोटें आयी। अभियुक्तगण ने उसे रिपोर्ट करने पर जान से मारने की धमकी दी। फरियादी की रिपोर्ट के आधार पर थाना आमला में अपराध क. 113/13 पंजीबद्ध किया गया। विवेचना के दौरान मौका नक्शा बनाया गया एवं साक्षियों के कथन

लेखबद्ध किये गये। फरियादी का चिकित्सकीय परीक्षण करवाया गया। अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा बनाया गया। विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

3 अभियुक्तगण द्वारा निर्णय की कंडिका क्रं-1 में उल्लेखित अपराध किया जाना अस्वीकार कर विचारण चाहा गया तथा धारा 313 द.प्र.सं. के अंतर्गत किये गये अभियुक्त परीक्षण में उनका कहना है कि वे निर्दोष हैं और उन्हें झूठा फंसाया गया है।

4 न्यायालय के समक्ष निम्न विचारणीय प्रश्न यह हैं :-

1. क्या अभियुक्तगण ने घटना दिनांक, समय व स्थान पर फरियादी संगीता मेहरा को मां बहन के अश्लील शब्द उच्चारित कर उसे एवं दूसरों को क्षोभ कारित किया ?
2. क्या अभियुक्तगण ने घटना दिनांक, समय व स्थान पर सामान्य आशय के अग्रशरण में फरियादी संगीता को लकड़ी एवं हाथ मुक्कों से मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की ?
3. क्या अभियुक्तगण ने घटना दिनांक, समय व स्थान पर फरियादी को प्रथम सूचना रिपोर्ट करने से विरत करने के आशय से जान से मारने के आशय से धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया ?
4. निष्कर्ष एवं दंडादेश, यदि कोई हो तो ?

।। विश्लेषण एवं निष्कर्ष के आधार ।।

विचारणीय प्रश्न क. 01 एवं 03 का निराकरण

5 संगीता (अ.सा.-1) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में यह प्रकट किया है कि घटना के समय अभियुक्तगण ने उसे मादरचोद, छिनाल की गंदी गंदी गालियां दी थी जो सुनने में बुरी लगी थी। इस संबंध में साक्षी गौतम (अ.सा.-5) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में अभियुक्तगण द्वारा घटना के समय उनके साथ गंदी-गंदी गालियां दिये जाने की बात बतायी है। इसके अतिरिक्त इस संबंध में अन्य किसी अभियोजन साक्षी ने उनके न्यायालयीन परीक्षण में कोई कथन नहीं किये हैं। साक्षी/फरियादी संगीता (अ.सा.-1) ने जो शब्द न्यायालय में बताये हैं वे शब्द ग्रामीण परिवेश में सामान्यतः बिना उनके शाब्दिक अर्थ के मात्र क्रोध प्रकट करने के लिए उच्चारित किये जाते हैं जिन्हें भले ही नैतिकता के विरुद्ध माना जाता हो किंतु अभियुक्त एवं फरियादी के ग्रामीण परिवेश को देखते हुए धारा 294

भा.दं.सं. के अर्थ में अश्लील नहीं माना जा सकता। इस संबंध में न्याय दृष्टांत **बंशी विरुद्ध रामकिशन 1997 (2) डब्ल्यू.एन. 224** अवलोकनीय है जिसमें प्रतिपादित विधि अनुसार केवल गालियां दी जाना इस अपराध को घटित करने के लिए पर्याप्त नहीं है। फलतः अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 294 भा.दं.सं. का अपराध प्रमाणित नहीं माना जा सकता।

6 साक्षी संगीता (अ.सा.-1) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में यह बताया है कि अभियुक्तगण ने घटना के समय उसे जान से मारने की धमकी दी थी। इसके अतिरिक्त इस संबंध में अन्य किसी अभियोजन साक्षी ने उनके न्यायालयीन परीक्षण में कोई कथन नहीं किये हैं। यद्यपि साक्षी संगीता (अ.सा.-1) ने घटना के समय अभियुक्तगण द्वारा जान से मारने की धमकी दिये जाने के संबंध में कथन किये हैं परंतु अभियुक्तगण द्वारा उपरोक्त धमकी दिये जाने के पश्चात ऐसा कोई आचरण किया जाना अभियोजन साक्ष्य से दर्शित नहीं हुआ जिससे यह परिलक्षित हो कि अभियुक्तगण का उनके द्वारा दी गयी धमकी को क्रियान्वित करने का आशय रहा हो। अतः मारपीट के समय दी गई धौंस मात्र से धारा-506 भाग-2 भा0दं0सं0 का आरोप प्रमाणित नहीं माना जा सकता।

विचारणीय प्रश्न क. 02 का निराकरण

7 संगीता (अ.सा.-1) ने न्यायालयीन परीक्षण में यह प्रकट किया है कि अभियुक्तगण ने उसे जमीन पर गिरा दिया था। अभियुक्त जैतुलबाई ने उसे पकड़कर रखा था और अभियुक्त झाड़ू ने पत्थर से उसके सिर पर मारा था तथा एक चांटा गाल पर मारा था जिससे कान में चोट आयी थी। गौतम (अ.सा.-5) ने उपर्युक्त साक्षी के कथनों का समर्थन करते हुए यह प्रकट किया है कि अभियुक्तगण ने उसकी पत्नी संगीता को गिराकर उसके साथ मारपीट किये थे।

8 डॉ. एन.के. रोहित (अ.सा.-3) ने दिनांक 29.05.2013 को सीएचसी आमला में चिकित्सा अधिकारी के पद पर पदस्थ रहते हुए उक्त दिनांक को आहत संगीता का परीक्षण किये जाने पर उसके चेहरे पर सूजन के साथ खरोच के निशान एवं बांये कान में दर्द तथा बांयी भुजा पर 3 गुणा 2 सेमी. आकार की सूजन पायी थी। साक्षी ने आहत को आयी चोटें कड़े एवं बोथरे हथियार से आना एवं परीक्षण से दो से तीन दिन के अंदर की होना संभावित बताते हुए उसके द्वारा दी गयी चिकित्सकीय रिपोर्ट (प्रदर्श प्री-3) को प्रमाणित किया है। उपर्युक्त साक्षी तथा साक्षी संगीता (अ.सा.-1) एवं गौतम (अ.सा.-5) के कथनों आहत संगीता के शरीर पर चोट आने के तथ्य की संपुष्टि होती है।

9 रमेश वामने (अ.सा.-4) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में दिनांक 29.05.2013 को थाना आमला में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ रहते हुए अपराध क्र. 113/13 की केस डायरी विवेचना हेतु प्राप्त होने पर नक्शा मौका (प्रदर्श

प्री-2) एवं दिनांक 29.05.2013 को अभियुक्तगण झाड़ू एवं जैतुलबाई को गिरफ्तार कर प्रदर्श प्री-4 एवं प्रदर्श पी-5 का गिरफ्तारी पत्रक तैयार किया जाना बताया है। साक्षी ने उक्त दस्तावेजों पर उसके हस्ताक्षरों को भी प्रमाणित किया है।

10 बचाव अधिवक्ता का तर्क है कि प्रकरण में किसी भी स्वतंत्र साक्षी ने अभियोजन कथा का समर्थन नहीं किया है तथा फरियादी संगीता एवं गौतम के कथनों में पर्याप्त विरोधाभास है तथा प्रथम सूचना रिपोर्ट विलंब से लेख करायी गयी है जिससे अभियोजन कथा संदेहास्पद हो जाती है। जबकि अभियोजन अधिकारी ने अभियोजन का मामला युक्तियुक्त संदेह से परे स्थापित होने का तर्क प्रकट किया है।

11 बचाव अधिवक्ता के तर्क के परिप्रेक्ष्य में रतिराम (अ.सा.-2) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में यह प्रकट किया है कि उसे घटना के अगले दिन संगीता बाई (अ.सा.-1) ने यह बताया था कि झाड़ू उससे झगड़ा कर रहा है। उक्त साक्षी ने अपने समक्ष मारपीट एवं झगड़ा होने से इनकार किया है। साक्षी से अभियोजन अधिकारी द्वारा प्रतिपरीक्षण में पूछे जाने वाले प्रश्न पूछे जाने पर भी साक्षी ने अभियोजन के समर्थन में कोई तथ्य प्रकट नहीं किये हैं। अतः उपर्युक्त साक्षी के कथनों से अभियोजन को कोई सहायता प्राप्त नहीं होती है एवं बचाव अधिवक्ता का तर्क इस संबंध में उचित प्रतीत होता है।

12 साक्षी संगीता (अ.सा.-1) ने न्यायालयीन परीक्षण में अभियुक्त झाड़ू एवं जैतुलबाई के द्वारा मारपीट किया जाना बताया है तथा यह भी बताया है कि अभियुक्त जैतुलबाई ने उसे पकड़कर रखा था और झाड़ू ने उसके सिर पर पत्थर मारा था और गाल में चाटा मारा था। मारपीट से उसके कान, पीठ एवं पैर में चोटें आयी थी। उक्त साक्षी ने आगे यह भी प्रकट किया है कि वह आठ दिन तक जिला चिकित्सालय में भरती भी रही थी जहां पर उसका एक्सरे भी हुआ था। गौतम (अ.सा.-5) ने अभियुक्तगण द्वारा उसकी पत्नी संगीता को गिराकर मारपीट किया जाना एवं अभियुक्त झाड़ू के द्वारा पत्थर एवं लकड़ी से मारपीट किया जाना बताया है। संगीता (अ.सा.-1) ने प्रतिपरीक्षण में बचाव के सुझाव पर बताया है कि अभियुक्त झाड़ू ने उसे पत्थर से सिर पर मारा था तथा अभियुक्तगण ने उसे जमीन पर गिरा दिया था।

13 अभियोजन कथा अनुसार अभियुक्त झाड़ू द्वारा फरियादी को पैर से मारकर गिरा दिया गया तथा अभियुक्त जैतुलबाई के द्वारा उसे पकड़कर हाथ मुक्के से मारपीट की गयी तथा अभियुक्त झाड़ू के द्वारा लकड़ी से सिर पर एवं गाल पर मारा गया। इस प्रकार अभियोजन कथा में अभियुक्त झाड़ू के द्वारा लकड़ी से सिर पर मारा जाना लेख है, जबकि संगीता (अ.सा.-1) ने न्यायालयीन परीक्षण में अभियुक्त झाड़ू के द्वारा पत्थर से सिर में चोट कारित किया जाना बताया है। यद्यपि संगीता के द्वारा न्यायालयीन परीक्षण में अतिशयोक्तिपूर्ण कथन

किये गये हैं परंतु मात्र साक्षी के द्वारा बढ़ाचढ़ाकर कथन किये जाने से एवं मारपीट किये जाने वाले अस्त्र के संबंध में कथन में भिन्नता होने मात्र से संपूर्ण अभियोजन कथा संदेहास्पद नहीं हो जाती है। संगीता (अ.सा.-1) अभियुक्तगण द्वारा मारपीट किये जाने के कथनों पर स्थिर है।

14 बचाव अधिवक्ता का यह भी तर्क है कि फरियादी के द्वारा विलंब से रिपोर्ट लेख करायी गयी है जो कि अभियोजन कथा को संदेहास्पद बनाता है। उक्त तर्क के परिप्रेक्ष्य में घटना दिनांक 26.05.2013 की रात्रि 11 बजे की है तथा थाने में रिपोर्ट दिनांक 29.05.2013 को 19:10 बजे लेख करायी गयी है तथा विलंब का कारण उपचार कराकर थाना आना लेख है। इस संबंध में साक्षी संगीता (अ.सा.-1) ने भी अपने न्यायालयीन परीक्षण में यह प्रकट किया है कि वह जिला चिकित्सालय में लगभग आठ दिन तक भरती रही थी और वहां पर उसका एक्सरे भी हुआ था तथा गौतम (अ.सा.-5) ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह बताया है कि उसने घटना के तत्काल बाद रिपोर्ट लेख करायी थी परंतु पुलिस वालों ने कहा था कि पत्नी बेहोश है पहले ईलाज करवाओ फिर रिपोर्ट लेख कराना इसलिए वह सरकारी अस्पताल बैतूल चला गया था। डॉ. साक्षी एन.के. रोहित (अ.सा.-3) ने भी अपने अभिमत में यह प्रकट किया है कि आहत को आयी चोट दो से तीन दिन के भीतर की थी। फरियादी के द्वारा घटना के लगभग दो तीन दिन बाद रिपोर्ट लेख करायी गयी है। तब ऐसी स्थिति में घटना दिनांक को चोट आने के तथ्य की संपुष्टि होती है। अतः ऐसी स्थिति में विलंब अभियोजन कथा के लिए घातक नहीं है। संगीता (अ.सा.-1) अभियुक्तगण द्वारा मारपीट किये जाने के तथ्य पर स्थिर है। आहत को आयी चोट चिकित्सकीय साक्ष्य से संपुष्टि है। अतः ऐसी स्थिति में अभियुक्तगण द्वारा फरियादी संगीता के साथ मारपीट कर उसे स्वेच्छया उपहति कारित की जाना प्रमाणित पाया जाता है।

15 घटना के समय अभियुक्तगण का एक साथ मौके पर आना, अभियुक्त जैतुलबाई के द्वारा फरियादी को पकड़कर रखा जाना एवं अभियुक्त झाड़ू के द्वारा मारपीट कर फरियादी के सिर एवं कान पर चोट पहुंचाया जाना अभियुक्तगण के सामान्य आशय को दर्शित करता है। अभिलेख पर ऐसी कोई साक्ष्य नहीं है कि फरियादी संगीता (अ.सा.-1) द्वारा अभियुक्तगण को कोई गंभीर या अचानक प्रकोपन दिया गया हो। अतः अभियुक्तगण ने फरियादी को उपहति स्वेच्छया कारित की यह भी घटना क्रम से स्पष्ट रूप से प्रमाणित होता है।

विचारणीय प्रश्न क. 04 का निराकरण

16 उपरोक्तानुसार की गयी साक्ष्य विवेचना से अभियोजन युक्तियुक्त संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्तगण ने घटना दिनांक, समय व स्थान पर फरियादी संगीता मेहरा को मां बहन के अश्लील शब्द

उच्चारित कर उसे एवं दूसरों को क्षोभ कारित किया एवं फरियादी को प्रथम सूचना रिपोर्ट करने से विरत करने के आशय से जान से मारने के आशय से धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया किंतु अभियोजन यह प्रमाणित करने में सफल रहा है कि अभियुक्तगण ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर सामान्य आशय के अग्रसरण में फरियादी संगीता को लकड़ी एवं हाथ मुक्कों से मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की। फलतः अभियुक्तगण झाड़ू एवं जैतुलबाई को भारतीय दंड संहिता की धारा 294, 506 भाग-दो के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है तथा धारा 323/34 भा.दं.सं. के आरोप में दोषी पाया जाता है।

17 अभियुक्तगण की ओर से पूर्व में प्रस्तुत जमानत मुचलके निरस्त किये जाते हैं।

नोट:- दण्ड के प्रश्न पर सुनने के लिए निर्णय थोड़ी देर के लिए स्थगित किया जाता है।

(श्रीमती मीना शाह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
आमला, बैतूल (म.प्र.)

पुनश्च :-

18 दण्ड के प्रश्न पर अभियुक्तगण के बचाव अधिवक्ता एवं विद्वान ए 0डी0पी0ओ0 के तर्क श्रवण किए गए। बचाव अधिवक्ता का यह कहना है कि यह अभियुक्तगण का प्रथम अपराध है। अतः अभियुक्तगण को परिवीक्षा का लाभ दिया जावे। साथ ही बचाव अधिवक्ता ने यह भी निवेदन किया कि अभियुक्तगण मजदूरी पेशा होकर आपस में पति पत्नी है। अतः उनकी आर्थिक परिस्थिति को दृष्टिगत रखते हुए कम से कम अर्थदंड से दंडित किया जावे। जबकि विद्वान ए.डी.पी.ओ. का कहना है कि अभियुक्तगण के विरुद्ध सामान्य आशय के अग्रसरण में मारपीट करने का मामला प्रमाणित हुआ है। अतः उन्हें अधिकतम कठोर कारावास से दण्डित किये जाने का तर्क प्रस्तुत किया गया।

19 उभयपक्ष के तर्क को विचार में लिया गया। अभियुक्तगण द्वारा आहत के साथ सामान्य आशय के अग्रसरण में मारपीट कर उसे उपहति कारित करने का अपराध कारित किया गया है। अपराध कारित करते समय अभियुक्तगण अपने कृत्य की प्रकृति व उसके संभावित परिणाम को समझने में भली-भांति सक्षम थे, अतः उन्हें परिवीक्षा विधि का लाभ दिया जाना न्याय-संगत नहीं है।

20 अभियुक्तगण के विरुद्ध पूर्व की कोई दोषसिद्धी भी अभिलेख पर नहीं है। हस्तगत प्रकरण में अभियुक्तगण एवं फरियादी पूर्व से परिचित हैं एवं द टना में आहत को साधारण प्रकृति की चोट आना प्रमाणित हुई है। अपराध की प्रकृति एवं मामले की सम्पूर्ण परिस्थितियों पर विचारोपरांत अभियुक्तगण को केवल अर्थदंड से दंडित किए जाने से न्याय के उद्देश्य की पूर्ति हो सकती है। अतः अभियुक्तगण की आर्थिक परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्तगण को धारा 323/34 भा.द.सं. के अंतर्गत दंडनीय अपराध के लिये न्यायालय उठने तक के कारावास एवं 700/-700/- रुपये के अर्थदंड से दंडित किया जाता है। अर्थदण्ड अदायगी में व्यतिक्रम में किया जाता है तो उन्हें 15 दिवस का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगताया जावे।

21 धारा 357(1) दं.प्र.सं. के अंतर्गत अर्थदंड की राशि में से 1,000/- रुपये आहत संगीता पति गौतम निवासी सालईढाना थाना आमला जिला बैतूल को प्रतिकर स्वरूप अपील अवधि पश्चात प्रदान किये जावे। अपील होने की दशा में अपीलीय न्यायालय के निर्देशानुसार कार्यवाही की जावे।

22 अभियुक्तगण द्वारा अन्वेषण एवं विचारण के दौरान अभिरक्षा में बिताई गई अवधि के संबंध में धारा 428 द.प्र.स. के अंतर्गत प्रमाण पत्र बनाया जावे।

23 दं0प्र0सं0 की धारा 363(1) के अंतर्गत अभियुक्तगण को निर्णय की एक प्रतिलिपि निःशुल्क प्रदान की जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित
तथा दिनांकित कर घोषित ।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित ।

(श्रीमती मीना शाह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
आमला, बैतूल (म.प्र.)

(श्रीमती मीना शाह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
आमला, बैतूल (म.प्र.)